बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।
पेयजल उपयोग शुल्क (Water User Charge) नीति, 2021

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर नल–जल की आपूर्त्ति एक महत्वपूर्ण निश्चय कार्यक्रम है। नगर विकास एवं आवास विभाग के परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प सं0–1287 दिनांक–25.02.2016 के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों के प्रत्येक घरों/परिवारों को पाइप जलापूर्ति द्वारा नल का जल उपलब्ध कराया जाना है। राज्य के नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, राज्य योजना, AMRUT योजना एवं ADB से प्रदत्त ऋण के तहत राज्य योजना से संपोषित योजना के अन्तर्गत हर घर नल–जल योजना कार्यान्वित करायी जा रही है।

2. तद्‌लोक में उपरोक्त विभिन्न माध्यमों से क्रियान्वित नल–जल योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से संवेदकों द्वारा कराया जा रहा है, जिन्हें उक्त योजना का 5 वर्षों तक रख–रखाव भी करना है। 05 वर्षीय रख–रखाव के अन्तर्गत ऑपरेटर की नियुक्ति, distribution network में किसी प्रकार के लीकेज की मरम्मति, मोटर, पम्प, बोरिंग, जल मीनार में किसी भी प्रकार की खराबी की मरम्मति करना संवेदकों का दायित्व है। रख–रखाव कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष संवेदकों को नगर निकायों द्वारा अनुमान्य राशि का भुगतान किया जाना है। उक्त रख–रखाव के अलावा मोटर/पम्प के लिए विद्युत विपत्र का भुगतान भी नगर निकायों को करना होगा। संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रख–रखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नल–जल योजना के रख–रखाव की अन्य व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

विद्युत विपत्र का भुगतान एवं रख–रखाव करने हेतु यह आवश्यक है कि लाभान्वित परिवारों से एक निश्चित वार्षिक राशि वसूली जाय, जिससे नगरपालिकाओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं पड़े एवं साथ ही नागरिकों को भी सतत् पाईप जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके। उक्त के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के भाग– IV के अध्याय, XV (नगरपालिका राजस्व) के अन्तर्गत धारा 127 (घ) एवं 128 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेयजल उपयोग शुल्क (Water User Charge) नीति लागू की जा रही है।

3. <u>मूल्य परिकल्पना का आधारः–</u>

3.1 शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियाँ है यथा–

(i) घरेलू उपयोग

(ii) व्यावसायिक उपयोग (होटल/रेस्टोरेंट/ढावा/सिनेमा हॉल/सर्विस स्टेशन एवं अन्य छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो जल का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हैं)

	Property tax श्रेणी		पेयजल शुल्क की निर्धारित राशि (Water meter के आधार पर)
(i)	₹0 - ₹1000	-	₹2400 (One time fixed charge) + ₹7.50 per kl - (18 kl प्रति माह से अधिक खपत पर ₹12 / kl की दर से भुगतान करना होगा)
(ii)	₹1001 - ₹2000	-	₹4200 (One time fixed charge) + ₹9.50 per kl - (30 kl प्रति माह से अधिक खपत पर ₹18 / kl की दर से भुगतान करना होगा)
(iii)	₹2001 – ₹3000	-	₹6000 (One time fixed charge) + ₹12 per kl - (45 kl प्रति माह से अधिक खपत पर ₹24 / kl की दर से भुगतान करना होगा)
(iv)	₹ 3001 एवं उससे अधिक		₹12,000 (One time fixed charge) + ₹ 14.50 per kl (60kl प्रति माह से अधिक खपत पर ₹ 30/kl की दर से भुगतान करना होगा।

4.2 सरकारी संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर (सरकारी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, अस्पताल आदि के लिए) (मात्र **Builtup Area** के **property tax** की देयता के आधार पर)

	Property tax श्रेणी		पेयजल शुल्क की निर्धारित राशि (Water meter के आधार पर)
(i)	₹0 - ₹1000	-	₹2400 (One time fixed charge) + ₹2.50 per kl With meter
(ii)	₹ 1001-₹2000	-	₹ 4200 (One time fixed charge)+ ₹ 3.50 per kl With meter
(iii)	₹2001 -₹ 3000	-	₹6000 (One time fixed charge) +₹5 per kl With meter
(iii)	₹3001 एवं उससे अधिक	-	₹12000 (One time fixed charge) + ₹6 per kl With meter

4.3 गैर सरकारी संस्थान यथा –गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि (मात्र **Builtup Area** के **property tax** की देयता के आधार पर) के लिए :–

	Property tax श्रेणी		पेयजल शुल्क की निर्धारित राशि (Water meter के आधार पर)
(i)	₹0 - ₹1000	-	₹2400 (One time fixed charge) + ₹5 per kl with meter

(ii)	₹ 1001-₹2000	-	₹4200 (One time fixed charge)+ ₹ 5 per kl with meter
(iii)	₹2001 - ₹3000	-	₹6000 (One time fixed charge) + ₹9.50 per kl with meter
(iii)	₹3001 एवं उससे अधिक	-	₹12000 (One time fixed charge) + ₹12 per kl with meter

4.4 <u>औद्योगिक इकाई (छोटे एवं बड़े) के लिए</u> :–

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए भी Water meter के आधार पर निम्नरूपेण पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) लिया जाएगा :–

SSI Unit :-

(i)	One time Fixed charge ₹6000 and User Charge ₹12 / kl	-	(50 kl प्रति माह तक खपत होने पर)
(ii)	One time Fixed charge ₹6000 and User Charge ₹18 / kl	-	(50 kl प्रति माह से अधिक एवं 75 kl प्रति माह तक खपत होने पर)
(iii)	One time Fixed charge ₹6000 and User Charge ₹24 / kl	-	(75 kl प्रति माह से अधिक खपत होने पर)

Other Unit :-

(i)	- One time Fixed charge ₹12000 and User Charge ₹18/ kl	-	(100 kl प्रति माह तक खपत होने पर)
(ii)	One time Fixed charge ₹12000 and User Charge ₹24/ kl	-	(100kl प्रति माह से अधिक एवं 150 kl प्रति माह तक खपत होने पर)
(iii)	One time Fixed charge ₹12000 and User Charge ₹36/ kl	-	(150 kl प्रति माह से अधिक खपत होने पर)

औद्योगिक ईकाई में कार्यरत कर्मियों के लिए पेयजल भी Water meter के आधार पर ₹2400 (One time fixed charge) + ₹7.50/kl के दर से पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) वसूलनीय होगा।

5. <u>भुगतान की प्रक्रिया</u>:– उक्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रत्येक household/व्यापारिक प्रतिष्ठान/सरकारी संस्थान/गैर सरकारी संस्थान औद्योगिक प्रतिष्ठान को property tax के साथ भुगतान करना आवश्यक होगा। यदि पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) का भुगतान देय तिथि से एक वर्ष बाद तक नहीं किया जाता है तो उनका जल संयोजन काट दिया जायेगा तथा पुनः जल संयोजन में लगने वाली राशि लाभुक/प्रतिष्ठान से वसूलनीय होगा, जो कम से कम ₹1000/– होगा।

देय तिथि के बाद पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) का भुगतान करने पर प्रति माह 1% की दर से सूद की राशि वसूलनीय होगी।

6. <u>अन्यान्य</u> :– पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) के रूप में वसूलनीय राशि मात्र विद्युत व्रिपत्र के भुगतान एवं उसके रख–रखाव के आधार पर ही है, जिसमें मुख्य घटक विद्युत् विपत्र

का भुगतान है। अतः विद्युत् चार्ज के बढ़ने के साथ ही पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) की राशि में भी वृद्धि सम्भावित है, तदनुसार विद्युत् चार्ज के दर में वृद्धि के आधार पर पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) की राशि भी आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर बढ़ाई जा सकेगी। भविष्य में आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर इस नीति तथा विभिन्न पेयजल उपयोग शुल्कों (Water User charges) में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्यपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

ज्ञापांक–13/जला0–01–04/2021 1222 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–19.08.21

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–13/जला0–01–04/2021 1222 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–19.08.21

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–13/जला0–01–04/2021 1222 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19.08.21

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के सचिव / सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/ कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–13/जला0–01–04/2021 1222 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19.08.21

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बुडको / अभियंता प्रमुख / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–13/जला0–01–04/2021 1222 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19.08.21

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।